न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 189/2020

जीसीएमएस नम्बर : 2020/00273

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
प्रेमसिंह पुत्र बदनसिंह जाति राव निवासी नादाना भाटान, तहसील रानी जिला पाली		1. भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राव निवासी नादाना भाटान, तहसील रानी जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत नादाना भाटान तहसील रानी, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.सिघानिंया।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 132/2016–17 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह के पक्ष में को जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 08.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम नादाना भाटान की आबादी भूमि में पुश्तैनी परिसर स्थित है जिसके पडौस उत्तर दिशा में सवाईसिंह, मोडसिंह पुत्र पन्नेसिंह का मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में 3 फीट की गली, बाद में अप्रार्थी संख्या 1 का सरकारी पहाडी पर अतिक्रमण सुदा बाडा तथा पश्चिम सुरेशसिंह व जगदीशसिंह पुत्रगण सवाईसिंह राव का मकान स्थित है। उक्त परिसर के पूर्व में न तो आम चौहटा की भूमि है और न ही आम रास्ते की भूमि बल्कि मात्र 3 फीट की गली है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने सरकारी पहाडी पर अतिक्रमण कर बाडा के रूप में किये हुये कब्जे का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन दिनांक 25.08.2016 को पेश किया। उक्त आवेदन के साथ नक्शे में पश्चिम की तरफ कूटरचित कर 10 फीट चौडा रास्ता अंकित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत ने 05.08.2016 को ही मिसल कायम कर दी। साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शे के विपरित नाप व पडौस का जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जो विधिविरूद्ध एवं कूटरचित है। आदेशिका दिनांक 05.08.2016 में मौका निरीक्षण कमेटी गठित किये जाने के आदेश पारित किये गये परन्तु तीन वार्डपंच कौन होगे, उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। मौका निरीक्षण पर केवलमात्र एक सदस्य के ही हस्ताक्षर है। नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के

अति. जिला कलक्टर, पाली

हस्ताक्षर नहीं है तथा आपत्ति ईशतहार कब जारी किया गया की भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही आदेशिका में गवाहो के सम्बन्ध में कोई जानकारी दर्ज नहीं है और न ही बयानकर्ता की कोई जानकारी अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में जारी सुदा जैर निगरानी पट्टे में बाद में कूटरचना करते हुये प्रार्थी की स्वयं की पुश्तैनी भूमि को नक्शे में अंकित कर दिया। मिसल में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में पश्चिम में न तो गली दर्शायी है और न ही रास्ता, न ही चौहटा बल्कि वास्वतिक स्थिति अनुसार प्रार्थी का कच्चा मकान दर्शाया गया है। जैर निगरानी पट्टा पंचायतीराज नियम 157 के तहत जारी किया गया है जबकि मौके पर केवल खुला भूखण्ड ही है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने पंचातयी राज नियमों की पालना नहीं की है इसलिये जैर निगरानी पट्टा काबिल निरस्त है। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2008(1)RRT 604, 2022(2) RRT 1287, 2012(1) RRT 483, 2023(1) RRT 272 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन दिनांक 5.08.2016 को पेश किया था, उसमें 2 बाद में अंकित किया गया है क्योकि जो आवेदन की रसीद अप्रार्थी को पुनः दी गयी उस पर दिनांक 05.08.2016 ही अंकित है और उसी की पालना में मिसल दिनांक 05.08.2016 को कायम की गयी। साथ ही प्रस्तुत नक्शे में पडौस में भी काटछाट बाद में की गयी है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में लिये गये बयान में बयानकर्ता अनपढ है तो उनको यह नहीं पता की उनकी जानकारी बयानफार्म में अंकित है अथवा नहीं, उन्होने तो केवल वस्तुस्थिति के अनुसार सही व सत्य बयान दर्ज करवाये। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि जैर आराजी सरकारी पहाडी पर है परन्तु वास्तविक स्थिति अनुसार ये पहाडी अप्रार्थी की जैर आराजी के बाद स्थित है। साथ ही पुरा गांव ही पहाडी के आस–पास ही बसा हुआ है। अप्रार्थी की जैर आराजी पर उसके पिताजी का पुराना कब्जा है। सरकारी भूमि पहाडी से शुरू होती है तथा उसी पहाडी प्रार्थी की आराजी स्थित है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य भी विराधाभासी है। अतः जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये जारी किया है जो विधिनुसार सही है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1993 182, RDR 1973 800 पेश कर जैर निगरानी को खारिज करने निवेदन किया है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 132/2016–17 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह के पक्ष में को जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 08.07.2017 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 25.08.2016 को आबादी क्षेत्र में स्थित पुश्तैनी मकान/प्लॉट का पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र मय नक्शा पेश किया जिस पर आवेदक भगवत सिंह के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत नक्शे में सम्पूर्ण जानकारी काली स्याही से अंकित की गयी है जिसमे पश्चिम दिशा में अंकित पडौसी की सूचना में काटछाट कर नीली स्याही से पुनः अंकन किया हुआ है। आवदेन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2016 को मिसल कायम की गयी, जिसमें अंकितानुसार "भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह का अपने पुश्तैनी;

अति. जिला कलक्टर, पाली

मकान का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र पेश हुआ'' एवं मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पचों की कमेटी गठित की गयी। जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा बनाने का आवेदन ही दिनांक 25.08.2016 को पेश किया हो तो उससे 20 दिन पूर्व ही दिनांक 05.08.2016 को जैर मिसल कैसे कायम हो सकती है ? जिससे स्पष्ट है कि जैर मिसल कूटरचित तरीके से तैयार की गयी है जो विधिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। साथ ही मौके निरीक्षण हेतु किन तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया है, के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी आज्ञासूची दिनांक 05.08. 2016 में अंकित नहीं है।

आज्ञासूची दिनांक 20.08.2016 अनुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट व मौका नक्शा पेश किया गया। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर केवल मात्र एक सदस्य के ही हस्ताक्षर है जबकि राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार स्थल निरीक्षण तीन पंचों की समिति द्वारा किया जावेगा। अर्थात् जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध मे मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही सचिव के हस्ताक्षर अंकित है। साथ ही नक्शे में न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है, न ही सायल के हस्ताक्षर है और न ही नक्शे पर किसी दिनांक का अंकन जिससे यह ज्ञात हो सके कि नक्शा कब बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नक्शा एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी नक्शा के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किये नक्शे से भिन्न नाप का नक्शा तैयार किया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टे में राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की पूर्णत पालना नहीं की गयी है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.08.2016 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है। आज्ञा दिनांक 05.05.2017 में अंकितानुसार दो गवाहो के बयान लिये गये जबकि बयानफार्म के अवलोकनानुसार एक बयान पर कोई भी हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान नहीं है और न ही बयानकर्ता के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित है तथा दूसरे बयान फार्म में केवल नाथूसिंह के हस्ताक्षर अंकित है, बयानकर्ता के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है।

आज्ञा दिनांक 05.05.2017 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 नियम 157(ख) के तहत 200/– रूपये पर 5069 वर्गफीट क्षेत्रफल का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जबकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल –

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के रू. 200/– दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

अति. जिला कलक्टर, पाली

अर्थात् ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल (5069 वर्गफीट) का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध जैर आराजी के फोटोग्राफ्स एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत फोटोग्राफ्स के अध्ययन से भी यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में जैर आराजी पर केवल मात्र चारदिवारी बनी हुई है किसी भी प्रकार का गृह निर्माण नहीं किया हुआ है फिर भी ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया एवं जैर निगरानी पट्टे पर प्रदर्श नक्शे में अंकित नाप, प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत नक्शे में अंकित नाप से भिन्न है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा ऐसे भी कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो सके जैर आराजी अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी भूखण्ड है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा काबिले खारिज है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी को प्रेषित जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2019 में अंकितानुसार "प्रेमसिंह व अमरसिंह के बाडे के बीच मात्र 2 फीट की ही गली है एवं मौके पर अमरसिंह द्वारा अपने बाडे का द्वार प्रेमसिंह की भूमि की तरफ खोला गया, वर्तमान में अमरसिंह द्वारा जो बाडा बनाया गया वह अतिक्रमण कर बनाया गया तथा प्रेमसिंह को अपने पुश्तैनी मकान/भुखण्ड में चारदिवारी निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। जिसके अवलोकन से भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई मकान स्थित नहीं था फिर भी ग्राम पंचायत ने पंचातीराज नियमों को ताक में रखकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो नियमविरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी गै.मु. मगरी पर स्थित है परन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रमाणित हो सके। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी उक्त कथन सिद्ध नहीं कर पाने से यह कथन अस्वीकार किया जाता है, अधिवक्ता प्रार्थी के शेष कथन जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है प्रमाणित होने से स्वीकार किये जाते है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष पुश्तैनी मकान/प्लॉट का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 25.08.2016 को आवेदन मय नक्शा प्रस्तुत किया परन्तु जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में मिसल दिनांक 05.08.2016 को ही कायम कर दी गयी। ग्राम पंचायत ने मौका निरीक्षण हेतु किन तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया है का भी आज्ञासूची में अंकन नहीं है तथा उस पर केवल मात्र एक सदस्य के ही हस्ताक्षर है, सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है। मौका निरीक्षण के साथ जारी नक्शे में नक्शानवीस एवं सायल के हस्ताक्षर ही नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति ईश्तहार पर किसी भी मौतबिरान गवाह के हस्ताक्षर नहीं है और न ही पंचायत की मोहर लगी हुई है, साथ ही बयानफार्म में बयानकर्ता के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.11.2019 एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व फोटोग्राफ्स से भी यह

अति. जिला कलक्टर, पाली

सुस्पष्ट है कि जैर आराजी पर कोई मकान स्थित नहीं है। जैर निगरानी पट्टे में प्रदर्श नक्शें में अंकित नाप, प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शें में अंकित नाप से भिन्न है। साथ ही जैर निगरानी पट्टा पंचायतीराज नियमों के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नादाना भाटान द्वारा मिसल संख्या 132/2016–17 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 भगवतसिंह पुत्र अमरसिंह के पक्ष में को जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 08.07.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली